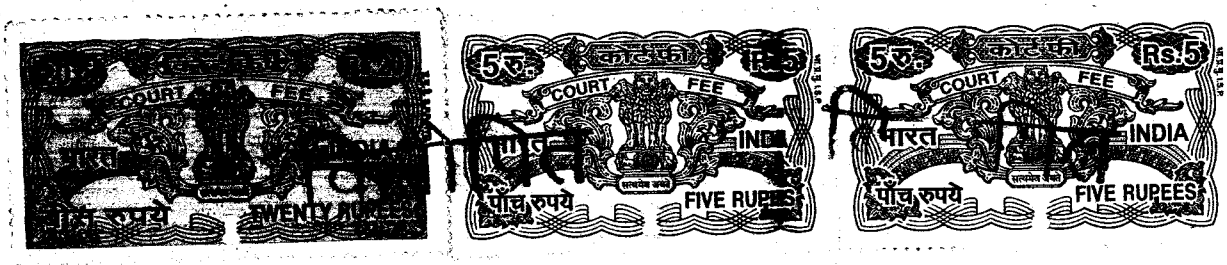

COURT FEE
INDIA
FIVE RUPEES
TWENTY RUPEES
पाँच रुपये
5 रु.
Rs.5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2015 निगरानी निग./3616-पाा-15

श्री ओ.पी.एस. चौहान एड. द्वारा आज दि. 16/11/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16-11-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ओमप्रकाश पुत्र ऊँकार जाति लोधी ग्राम सिरसौद, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) -----आवेदक

बनाम

पटवारी ग्राम सिरसौद, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी द्वारा-म. प्र. शासन ----अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता-1959 (नये संशोधन अधिनियम-2011) विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के प्र0क्र. 23/2014-15/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28.10.2014 से परिवेदित होकर।

ओ. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3696/तीन/2015 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
16-11-15	आवेदक की ओर से श्री डी0एस0चौहान अभिभाषक को सुना गया। उनके तर्कानुक्रम में प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार करैरा के प्रकरण कमांक 23/2014-15/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28-10-14 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम सिरसौद स्थित भूमि सर्वे कमांक 4662/मिन 50 रकबा 0.40 हैक्टर शासकीय अभिलेख में ओमप्रकाश पुत्र उमकार लोधी (आगे जिसे आवेदक अंकित किया गया है) के नाम वर्ष 2006-07 लगायत 2013-14 तक दर्ज रही है एंव विधायक करैरा व्दारा उठाये गये विधान सभा प्रश्न पर से आवेदक के विरूद्ध प्रकरण कमांक 23/2014-15/ अ-6-अ दर्ज कर भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के उद्देश्य से सूचना पत्र भेजे गये एंव तीन वार सूचना पत्र भेजने पर आवेदक के न मिलने पर आदेश दिनांक 28-10-14 से भूमि शासकीय दर्ज करना इस आधार पर आदेशित किया गया है कि इस नाम का व्यक्ति ग्राम में नहीं है। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि	

मात्र 0.40 हैक्टर भूमि यानि दो वीघा से कम भूमि आवेदक के पास है जिसकी उपज से आवेदक के परिवार का भरण पोषण सालभर नहीं चलता जिसके कारण आवेदक मजदूरी करने वाहर चला जाता है और इसी दरम्यान आवेदक को तीन वार नोटिस भेजने पर वह नहीं मिला है और उसकें विरूद्ध पटवारी व्दारा षड़यंत्र रचकर भूमि शासकीय दर्ज कराई है।

4/ तहसीलदार करैरा के प्रकरण क्रमांक 23/2014-15/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28-10-14 के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक जब मौजूद है एंव वह ग्राम सिरसौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 4662/मिन 50 रकबा 0.40 हैक्टर शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम अंकित है, उसे सुने बिना भूमि शासकीय घोषित करना न्याय-संगत नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 23/2014-15/अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 28-10-14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार करैरा आवेदक के नाम की प्रविष्टि पूर्व की भॉति करें।

सदस्य